तारीख हुक्म	मु. नं. 183/2024 — न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हरिओम बनाम धनश्याम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/3/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० अप्रार्थी उपस्थित। ... की नकल हेतु Rs.. नकलनामा पेश किए। पत्रावली वादी जवाब/बहस प्रा० पत्र 07 R 11 CPC दिनांक 10/3/25 को पेश हो। Sd/-	
10/03/25	[illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] पूर्वानुसार 15/4/25 को पेश हो	
15/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० अप्रार्थी उपस्थित। जवाब प्रा० पत्र 07 R 11 CPC पेश किया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22/4/25 को पेश हो। Sd/-	
22/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० अप्रार्थी उपस्थित। जवाब प्रा० पत्र 07 R 11 CPC पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र 07 R 11 CPC दिनांक 28/4/25 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
28/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र 07 R 11 CPC दिनांक 1/5/25 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
1/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० अप्रार्थी उपस्थित। ~~प्रा०~~ प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर ... पत्रावली फैसल शामिल मिसल हो।	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हरिओम बनाम घनश्याम	नम्बर व ता... अहलकार ... हुक्म की ता... में जारी हु...
अमल हो। नम्बर से कम होकर अभिलेख दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद कमांकः—189 / 2024
उनवानः— हरिओम बनाम घनश्याम बगै0

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

उपस्थितिः—
1. श्री गजेन्द्र पंचौली प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण)
2. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट अप्रार्थी (वादी)

निर्णय दिनांकः—01.05.2025

प्रार्थीगण / प्रतिवादी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 709 / 0.15, 710 / 0.14है0 बाके ग्राम तुहिया पट्टी में स्थित है। वादपत्र की मद संख्या 2 में अप्रार्थी / वादी ने यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण के पिता स्व0 खचेरा ने वादी के पिता रघुवीर से दिनांक 30.04.1975 को प्रोमिसरी नोट पर गवाह के सामने अपने हस्ताक्षर कर 1000 / — रूपया पुत्र की शादी के लिए उधार लिये थे और आराजीयत को गिरवी रखा था। सरासर गलत कथन है। वादी का प्रोमेशरी नोट फर्जी है वादी ने अपने दावा में कथित फर्जी दस्तावेज के आधार पर न्यायालय श्रीमान से अनुतोष चाहा गया है। वादी के फर्जी प्रोमशरी नोट के आधार पर उक्त दावे को न्यायालय श्रीमान सुनवाई के अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त फर्जी दस्ताबेज के आधार पर केबल सिविल न्यायालय को ही सुनवाई के अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार वादी का दावा न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार के बाहर है और बिधि द्वारा वर्जित है। वादी द्वारा कथित प्रोमेशरी नोट दिनांक 30.04.1975 से लेकर दिनांक 25.07.2022 तक निंविवाद रूप से लगातार काश्त करना अपने आप सन्देहास्पद है। वादी ने अपने दावा में कथन किया है कि प्रतिवादीगण से कई बार तकादा किया गया परन्तु अन्होंने किस किस तारीख को तकादा किया गया दावा में कहीं पर उल्लेख नहीं है दावा बिना वाद कारण के पेश किया है तथा अवधि में भी पेश नहीं किया गया है। दावा इसी बिनाय पर काबिल खारिजी है।

अभिभाषक अप्रार्थी / वादी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण उक्त आराजी के ना तो कास्तकार है और ना ही कब्जेदार है प्रार्थना पत्र प्रार्थी इसी बिनाय पर काबिल खारिजी है। जब तक उक्त विवादित भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि के रूप में है तब तक सुनबाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान को

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

रहेगा प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने महज देरी करने के उद्देश्य से झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है। क्योंकि यह तथ्य भलीं भांति स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर इन्द्राज प्रार्थी के नाम एवं कब्जा हम वादीगण का रहा है जैसा कि पंचायतनामा में स्पष्ट है एवं पुलिस जांच में भी कब्जे की स्थिति स्पष्ट है एवं दिनांक 25.07.2022 को धमकी देना एवं वाद कारण प्राप्त होना बिलकुल साफ प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिजी है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की वहस सुनी गई। अभिभापक प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 709, 710 बाके ग्राम तुहिया पट्टी में स्थित है। वादी द्वारा उक्त विवादित आराजी के संबंध में दावा दिनांक 30.04.1974 के प्रोमेशरी नोट के आधार पर पेश किया गया है। वादी द्वारा पेश प्रोमेशरी नोट फर्जी है। वादपत्र, वादी ने बिना किसी वाद कारण के पेश किया है एवं प्रोमेशरी नोट के आधार जो दादरसी चाही है वह न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। वादी द्वारा प्रोमेशरी नोट के लगभग 47 वर्ष पश्चात उक्त वाद पत्र पेश किया है जो कि म्याद बाहर है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थी/वादी ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी को सन् 1975 में अप्रार्थीगण के पूर्वजों ने गिरवी रखा एवं उक्त विवादित आराजी तब से हम वादीगण के कब्जे में है। प्रोमेशरी नोट फर्जी है अथवा नहीं यह मेरिट पर ही डिसाइड होगा। जहां तक वाद कारण का सवाल है उक्त के लिये वाद पत्र में वादी की प्रयर को पढा जाना चाहिए क्योंकि प्रेयर वाद पत्र की आत्मा होती है एवं कब्जे के संबंध में ग्राम पंचायत की रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। एवं साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अगर कोई दस्ताबेज 30 साल पुराना है तो चाहे अनरजिस्टर्ड हो मेन्टेबिल होगा।

अभिभाषक प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने जबाव करते हुये कथन किया कि वादी द्वारा अपनी प्रेयर में कहा कि विवादित आराजी गिरवी रखी है पर गिरवी रखी तो प्रोमेशरी नोट के आधार पर ही है एवं प्रोमेशरी नोट फर्जी है अथवा नहीं इसका निर्णय सिविल कोर्ट में होगा। वादी द्वारा अपने वादपत्र के साथ प्रोमेशरी नोट पेश नहीं किया जिसके स्पष्ट हो सके कि कौनसे खसरा नम्बर गिरवी रखे थे।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा उक्त वाद पत्र दिनांक 30.04.1975 के प्रोमिसरी नोट एवं कब्जे के आधार पर पेश किया है एवं वादी सिर्फ प्रोमिसरी नोट के आधार पर कथित रूप से रहन रखी जमीन का डिक्लेरेशन करवाना चाहता है। वादी द्वारा जो दादरसी चाही है वह प्रोमेशरी नोट के आधार पर चाही है। प्रोमेशरी नोट पर सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत स्पष्ट किया गया है कि 1.यदि वाद में कार्यवाही का कोई कारण नहीं बताया गया है। 2. अगर वाद को समय सीमा से बाहर कर दिया गया है। 3. अगर बाद दिखावटी और

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

निरर्थक है। 4. वाद को कानून द्वारा प्रतिवंधित किया गया हो। उक्त वाद पत्र वादी विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काविज खारिजी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः—

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। वादपत्र वादी खारिज किया जाता है। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 01.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)